UPSR010001132017

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– राकेश धर दुबे (उच्चतर न्यायिक सेवा ID UP02008)

सेशन केस नं०–10/2017

राज्य उ0 प्र0 .....अभियोगी

बनाम

1– नीबर पुत्र दल सिंगार

2– रोज अली पुत्र दल सिंगार

3– जाफर पुत्र रोज अली

4– छेदी पुत्र गुल्ले

निवासीगण–गोबार, थाना–कोतवाली भिनगा, जनपद–श्रावस्ती।

.....अभियुक्तगण

एन0सी0आर0संख्या.–285/2015
धारा–323,504,506 भा०दं०सं०
थाना–को0 भिनगा, जनपद–श्रावस्ती

निर्णय

1– अभियुक्तगण **नीबर, रोज अली, जाफर** व **छेदी** का विचारण पुलिस थाना को0 भिनगा, जनपद श्रावस्ती द्वारा एन0 सी0 आर0 संख्या 285/2015 में विवेचना के उपरान्त प्रेषित आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा0दं0सं0 के आधार पर किया गया। अभियुक्तगण का केस सम्बन्धित मजिस्ट्रेट श्रावस्ती के न्यायालय द्वारा मामले का क्रास केस सत्र परीक्षणीय होने के कारण इस मामले को भी सत्र सुपुर्द किया गया।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैः–वादी मुकदमा तुल्ला पुत्र चांदे, निवासी ग्राम गोबार, थाना भिनगा, जनपद श्रावस्ती द्वारा दिनांक 01.10.2015 को

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.04.16 15:29:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

थाना को0 भिनगा में इस आशय की जुबानी सूचना दिया कि जमीनी विवाद को लेकर विपक्षीगण वादी मुकदमा के दरवाजे पर आकर भद्दी–भद्दी गाली गुप्ता देना शुरू कर दिया। वादी मुकदमा के मना करने पर वादी मुकदमा को लात, मूका, थप्पड़ से मारने पीटने लगे। बचाने आयी वादी की पत्नी को भी मारे पीटे तथा जान से मारने की धमकी दिया। वादी मुकदमा द्वारा रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

3– वादी मुकदमा की उपरोक्त जुबानी सूचना के आधार पर थाना को0 भिनगा, जनपद श्रावस्ती में दिनांक 01.10.2015 को समय करीब 22.00 बजे एन0सी0आर0 संख्या 285/2015 धारा 323, 504, 506 भा0दं0सं0 के अपराध के सम्बन्ध में अभियुक्तगण नीबर पुत्र दल सिंगार, रोज अली पुत्र दल सिंगार, जाफर पुत्र रोज अली व छेदी पुत्र गुल्ले, निवासीगण गोबार, थाना को0 भिनगा जनपद श्रावस्ती के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

4– सम्बन्धित पुलिस विवेचनाधिकारी द्वारा न्यायालय से अनुमति प्राप्त होने पर मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी तथा सम्बन्धित विवेचनाधिकारी ने आवश्यक अभियोजन साक्षीगण के बयान अंकित किये, घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया एवं मामले से सम्बन्धित आवश्यक विवेचना सम्पादित कर उपरोक्त अभियुक्तगण नीबर, रोज अली, जाफर व छेदी के विरूद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा0दं0सं0 के अपराध के सम्बन्ध में सम्बन्धित मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5– सम्बन्धित मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा मामले पर संज्ञान लिया गया। प्रश्नगत मामला अपराध संख्या 881/2016 धारा 323, 504, 506, 316 भा0दं0सं0 से कनेक्टेड होने के कारण सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया।

6– इस न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 13.02.2017 को अभियुक्तगण नीबर, रोज अली, जाफर व छेदी के विरूद्ध धारा 323, 504, 506 भा0दं0सं0 के अपराध के सम्बन्ध में आरोप विरचित किया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया और विचारण की मांग की।

7– अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित साक्षीगण को, मौखिक साक्ष्य के रूप में न्यायालय में परीक्षित कराया गया है।

1–पी०डब्लू०–1 तुल्ला उर्फ जहीर (साक्षी एन0सी0आर0 की प्रति प्रदर्श क–1, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 155 (2) सी0आर0पी0सी0 प्रदर्श क–2)

2–पी०डब्लू०–2 आयशा

3–पी०डब्लू०–3 फकीर मोहम्मद

4–पी०डब्लू०–4 डा0 एन0एन0 पाण्डेय (साक्षी मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क–3)

5–पी०डब्लू०–5 उ0 नि0 देवा सिह (साक्षी कायमी जी0 डी0 प्रदर्श क–4, नक्शानजरी प्रदर्श क–5, आरोप पत्र प्रदर्श क–6)।

8– अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा घटना को गलत एवं झूंठा बताया गया तथा मुकदमा रंजिशन गलत एवं झूंठा चलाया जाना तथा स्वयं को निर्दोष होना कहा गया है।

9– अभियुक्तगण की तरफ से अपनी प्रतिपरीक्षा साक्ष्य/सफाई में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची मय प्रपत्र 127ए/1 ता 127ए/12 दाखिल किया गया है।

10– अभियोजन पक्ष की तरफ से, अपने उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार, पर, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा, पत्रावली पर उपलब्ध कराए गए समस्त दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य से अभियोजन पक्ष की सम्पूर्ण घटना कहानी और अभियुक्तगण पर लगाया गया प्रश्नगत आरोप, युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध है।यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस मामले का क्रास केस सत्र परीक्षण सं0 71/2016, राज्य प्रति तुल्ला उर्फ जहीर एवं अन्य, धारा 323, 316, 504, 506 भा0दं0सं0 है जिससे यह साबित होता है कि प्रश्नगत घटना हुई है। ऐसी परिस्थिति में, अभियोजन पक्ष की तरफ से, अभियुक्तगण को, प्रश्नगत आरोपित आरोप में, दोषसिद्ध करते हुए, दण्डित किए जाने की मांग की गई है।

11– अभियुक्तगण की तरफ से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा, अभियोजन पक्ष के उपरोक्त तर्को का खण्डन करते हुए, दौरान बहस, मुख्य रूप से इस आशय का तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण को रंजिशन गलत एवं झूठा फंसाया गया है तथा अभियुक्तगण निर्दोष है और प्रस्तुत मामले की विवेचना निष्पक्ष एवं विधिसम्मत् न होकर, पक्षपातपूर्ण, दूषित, एवं त्रुटिपूर्ण है। अभियोजन साक्षीगण के कथन स्वाभाविक एवं नैसर्गिक नहीं है तथा अभियोजन साक्षीगण के

कथनों में गंभीर विरोधाभाष है और अभियोजन पक्ष की मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य में, गंभीर विरोधाभाष है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में समस्त अभियोजन साक्ष्य से अभियोजन पक्ष की सम्पूर्ण घटना कहानी एवं अभियुक्तगण पर लगाये गये प्रश्नगत आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे सिद्ध नहीं है और अभियुक्तगण प्रश्नगत आरोपित आरोप में दोषमुक्त होने योग्य है ।

12– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध कराए गए समस्त साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

13– प्रस्तुत मामले में पेश किये गये तर्क के आलोक में यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को, पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये साक्ष्य के माध्यम से युक्तियुक्त सन्देह से परे, सिद्ध कर सका है।

14क– अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०–1 तुल्ला पुत्र जहीर** को परीक्षित कराया गया है जिसने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि घटना आज से लगभग दस साल पहले सुबह 6 बजे की है। वह अपने हाते में बैठा था जो उसके पूर्वजों की जमीन है। वह उसमें अपना घर का जरूरी सामान रखता था। उस जमीन पर विपक्षीगण मुंसरीफ उर्फ नीबर, रोज अली, जाफर, छेदी पुत्र गुल्ले ये लोग लाठी लाठी डण्डा आदि लेकर जबरदस्ती कब्जा करने के नियत से मौके पर आ गये और जबरदस्ती अपना मड़हा रखने की कोशिश कर रहे थे। जब उसने कब्जा करने से मना किया तो उपरोक्त विपक्षीगण ने उसे भद्दी–भद्दी गालियां देते हुये लात, मुका, थप्पड़ से मारा पीटा। उसके चिल्लाने पर उसकी पत्नी उसे बचाने आयी तो विपक्षीगण ने उसे भी मारा पीटना शुरू कर दिया। उन लोगों के चिल्लाने व शोर मचाने पर गांव के तमाम लोग इकट्ठा हो गये तब उपरोक्त विपक्षीगण मौके से भाग गये। तब उसने थाना को0 भिनगा में जुबानी सूचना दिया तब एन0 सी0 आर0 दर्ज करके पुलिस वालों ने हम लोगों को जिला अस्पताल भिनगा इलाज हेतु भेज दिया तब दसने न्यायालय पर प्रार्थनापत्र देकर मुकदमें की विवेचना हेतु आवेदन किया था। तब न्यायालय के आदेश से मुकदमें की विवेचना हुयी थी। साक्षी को पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ए–4/1 एन0 सी0 आर0 सं0 285/2015 मे जुबानी सूचना पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा यही सूचना उसने थाना पर दिया था जिसे वह प्रमाणित करता हूं जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या बी–12/1 व बी–12/2 प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 155 (2)

सीआर0पी0सी0 को देखकर कहा कि यही प्रार्थनापत्र उसने न्यायालय में दिया था जिस पर उसका निशानी अंगूठा व फोटो लगा है, जिसे वह प्रमाणित करता है जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। घटना के बाद पुलिस वाले जांच करने आये थे और उससे व उसकी पत्नी से पूछतांछ किया था।

14 ख– बचाव के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रति परीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि वह पढ़ा लिखा नहीं है। थाने पर उसने घटना के सम्बन्ध में जुबानी बताया था। थाने पर उसके साथ आयशा व गांव के फकीरे व लाल मोहम्मद गये थे इनसे उसके सम्बन्ध अच्छे थे। घटना के दिन ही वह शाम को मुकदमा लिखाने गया था। शाम को वह लगभग 6 बजे मुकदमा लिखाने के लिये गया था। थाने पर हल्का के सिपाही, दरोगा जी मिले थे। दरोगा जी से और उससे बातचीत लगभग 10–15 मिनट हुयी थी। अभियुक्तगण की तरफ से मुकदमा दर्ज कराने के लिये उसके थाने पर जाने के बाद वह लोग थाने पर गये थे। अभियुक्तगण व उनके परिवार वालों से उसकी मुलाकात थाने पर नहीं हुयी थी। उसे घटना में चोटें आयी थी। लेकिन उसकी डाक्टरी नहीं हुयी थी। उसकी पत्नी की डाक्टरी हुयी थी। उसकी पत्नी की डाक्टरी पुलिस वालों ने घटना के तीसरे दिन करायी थी। उसकी पत्नी का नाम आयशा है। उसकी पत्नी की डाक्टरी कराने के लिये कौन पुलिस वाला गया था नाम नहीं बता पांऊगा। जब वह मुकदमा लिखाने गया था तो चार लोगों का नाम उसने मुकदमें में लिखाया था। अभियुक्त छेदी के भाई का नाम शौकत अली है। शौकत अली की हत्या हो गयी थी जिसमें उसके चचेरे भाई इस्लाम मुल्जिम थे, उसमें उसके पिता चांदे भी फंसे हुये थे। उस मामले में इस्लाम और चांदे को सजा हो गयी थी। वह मुकदमा इस मुकदमें के अतिरिक्त छेदी ने दर्ज कराया था। इस मामले से पूर्व सजा होने पर अपील में उसके भाई व पिता हाई कोर्ट से छूटे थे। घटना के एक–दो दिन बाद मुकदमा लिखा गया था। तारीख याद नहीं है। मुकदमा शाम को 6–7 बजे के आस–पास लिखा गया था। उसे याद नहीं है कि मुकदमा उसने तहरीर लिखवा कर किया था या जुबानी बताकर लिखवाया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद एन0सी0आर0 की कापी उसे मिली थी अथवा नहीं यह याद नहीं है। एन0सी0आर0 परमीशन कराने के लिये उसने कोई वकील नहीं रखा था इसलिये भी वह यह नहीं बता पायेगा कि एन0सी0आर0 की कापी कहा है। जांच करने के लिये दरोगा (विवेचक) जी नहीं गये थे सिपाही गये थे। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था कि नहीं लिया था उसे याद नहीं है। दरोगा जी ने उसके 161 के बयान में

क्या लिखा है इसकी जानकारी उसे नहीं है। उसने मौके की नक्शानजरी विवेचक को थाने में ही बतायी थी। नक्शा नजरी दरोगा जी ने वहीं बनाया था कि नहीं इसके बारे में उसे याद नहीं है। घटना का नक्शानजरी दरोगा जी ने कब बनाया था उसे याद नहीं है। दरोगा जी ने घटना स्थल नक्शानजरी में क्या लिखाया है इसके बारे में वह नहीं बता पायेगा। दरोगा जी ने उसकी चोटों की डाक्टरी क्यों नहीं करायी इसके बारे में वह नहीं बता पायेगा। एन0सी0आर0 में घटना का क्या समय लिखा है उसे याद नहीं है। उसकी पत्नी आयशा के पैर में चोट आयी थी और पेट में चोट आयी थी। उसकी पत्नी आयशा के पैर के घुटने पर चोट आयी थी। इस मुकदमें की सारी पैरवी वह कर रहा था उसके भाई नहीं कर रहे थे। आयशा के अलावा शकीना को चोटें आयी थी। शकीना का मेडिकल नहीं हुआ था। शकीना का बयान विवेचक ने थाने पर लिया था या नहीं लिया था उसे इसके बारे में जानकारी नहीं है। विवेचक कभी भी शकीना का बयान लेने मौके पर नहीं गया था इस मुकदमें के विवेचक कौन थे उसे जानकारी नही है। उसकी मुलाकात थाने में मुल्जिमानों से नहीं हुयी थी, जब वह मुकदमा लिखाने के लिये थाने पर गया था। घटना के समय वह घर पर था। वह घटना के समय मौके पर नहीं था वह दो–चार–पांच मिनट बाद मौके पर पहुंचा था। जब घटना हुयी तब वह हाता पर था। हाता, घटनास्थल से एक घर के बाद है। घटना स्थल और उसके हाते के बीच में छेदी का घर है। नीवर के हाथ में डण्डा था, छेदी के हाथ में एक पत्थर था और रोज अली व जाफर के हाथ में क्या था उसे याद नहीं है। घटना के समय रोजअली की उम्र लगभग साठ पैसठ वर्ष होगी। घटना के बारे में उसे उसकी पत्नी आयशा ने सारी बातें बतायी थी। जब वह मुकदमा लिखाने गया था तब ताहिरा कहां थी इसके बारे में उसे जानकारी नहीं है। नीबर को कोई चोट आयी थी अथवा नहीं उसे नहीं मालूम है। नीबर मौके पर थे। वह पढ़ा लिखा नहीं है चूंकि वह पढ़ा लिखा नहीं है इसलिये घटना का दिन तारीख महीना व वर्ष वह नहीं बता पायेगा। तुल्ला उसका ही नाम है। उसकी डाक्टरी पुलिस वालों ने नहीं करायी थी। उसकी पत्नी का दवा इलाज जिला अस्पताल में हुआ था, उसकी पत्नी की डाक्टरी कब हुयी थी उसे दिन तारीख महीना व समय भी याद नहीं है। इस घटना के पूर्व से ही उसका और मुल्जिमानों का सिविल न्यायालय में जमीन सम्बन्धी मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन था। सिविल न्यायालय वाले मुकदमे में रोज अली अभियुक्त वादी है जो उसके खिलाफ मुकदमा दायर किये थे। उस मुकदमें में सिविल न्यायालय द्वारा घटना के समय स्थगन आदेश

पारित था। विवादित जमीन उसके पुर्खो की है इस जमीन में छेदी व उसका मुस्तरका है और उसका व छेदी दोनों लोगों का स्वामित्व हैं। इस जमीन में घटना के समय वह दरवाजा लगा रहा था। इसलिये विवाद हुआ था। वह दरवाजा लेने हाते में गया था वहां बवाल हो गया था तब वह सिविल वाले मुकदमें में हाजिर था। घटना के बाद सिविल न्यायालय से नोटिस गयी थी। उसे स्टे होने की जानकारी नही थी। वह किस तारीख को सिविल न्यायालय में हाजिर हुआ था। उसे याद नहीं है। झगड़े वाले दिन उसके घर शकीना व आयशा थी और पड़ोसी थे। ताहिरा को भी चोटें आयी थी। ताहिरा को ब्लीडिंग हो रही थी कि नहीं यह उसे नहीं मालूम है। ताहिरा की डाक्टरी पहले हुयी थी या उसकी पत्नी की डाक्टरी पहले हुयी थी उसे नहीं मालूम है। उसका व नीबर का जमीन वाला मुकदमा पहले से चल रहा था तभी उसे नोटिस आयी थी। ताहिरा के घर में किन–किन लोगों को चोटें आयी थी। उसे नहीं मालूम है। उसकी पत्नी के पेट में बच्चा था वह कितने महीने का था उसे नहीं पता है उसने कोई परिवाद का मुकदमा इस बावत अभियुक्तगण पर दायर किया था इन लोगों के मारने से उसकी पत्नी के पेट में पल रहा बच्चा मर गया है इस बात को लेकर उसे जानकारी नहीं है। छेदी का मुल्जिमान का सम्बन्ध भाई पट्टीदारी का था। छेदी उसके बड़े बाबा के लड़के है। छेदी व उसके परिवार के मध्य मुकदमें बाजी चल रही है लेकिन छेदी से नहीं चल रही है। छेदी के भतीजे इब्राहिम ने उसके भाई के खिलाफ मुकदमा लिखाया था, इस मुकदमें में छेदी गवाह थे कि नहीं इसके बोर मेंउसे नहीं पता है। रोज अली, नीबर के सगे भाई है और जाफर, रोज अली के लड़के है। दरवाजा विवादित जमीन के उत्तर तरफ लगाया था। उस समय मुहर्रम अली अपेन घर पर थे उसका घर, मुहर्रम अली के घर के पश्चिम तरफ है। मुहर्रम अली मौके पर आये थे कि नहीं आये थे उसे नहीं पता है। यह कहना गलत है कि घटना के दिन स्थगन आदेश की जानकारी के बावजूद जबरदस्ती नीबर की जमीन पर दरवाजा लगा रहा था जब नीबर की पत्नी ताहिरा ने दिनांक 01.10.2025 को सुबह मना किया तो उसने और उसके परिवार वालों ने उसे मारा पीटा। यह कहना गलत है कि ताहिरा को गम्भीर चोटें आयी और उसे गम्भीर ब्लीडिंग होने लगी और उसके पेट में पल रहा बच्चा मर गया तो इस बात की जानकारी होने पर उन लोगों ने मुल्जिमान के ऊपर यह फर्जी मुकदमा दबाव बनाने के उद्देश्य से लिखा दिया। यह कहना गलत है कि मुल्जिमानों ने उसे मारा पीटा नही हैं व यह घटना गलत है और उसने यह फर्जी मुकदमा रंजिशन उनके ऊपर लिखा दिया है।

यह साक्षी वादी मुकदमा और मजरूब साक्षी है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में इस आशय का साक्ष्य दिया है कि घटना आज से लगभग दस साल पहले सुबह 6 बजे की है। वह अपने हाते में बैठा था जो उसके पूर्वजों की जमीन है। वह उसमें अपना घर का जरूरी सामान रखता था। उस जमीन पर विपक्षीगण मुंसरीफ उर्फ नीबर, रोज अली, जाफर, छेदी पुत्र गुल्ले ये लोग लाठी लाठी डण्डा आदि लेकर जबरदस्ती कब्जा करने के नियत से मौके पर आ गये और जबरदस्ती अपना मड़हा रखने की कोशिश कर रहे थे। जब उसने कब्जा करने से मना किया तो उपरोक्त विपक्षीगण ने उसे भद्दी–भद्दी गालियां देते हुये लात, मुका, थप्पड़ से मारा पीटा। उसके चिल्लाने पर उसकी पत्नी उसे बचाने आयी तो विपक्षीगण ने उसे भी मारा पीटना शुरू कर दिया। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में बयान दिया है कि उसे घटना में चोटें आयी थी। लेकिन उसकी डाक्टरी नहीं हुयी थी। उसकी पत्नी की डाक्टरी हुयी थी। उसकी पत्नी की डाक्टरी पुलिस वालों ने घटना के तीसरे दिन करायी थी।

बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्को के आलोक में इस साक्षी की साक्ष्य की विस्तृत विवेचना निर्णय में आगे यथोचित स्थान पर की जायेगी।

15क– अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०–2 आयशा बेगम** को परीक्षित कराया गया है जिसने **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि घटना को लगभग 10 साल हो रहे हैं, घटना सुबह के समय 6.00 बजे की है। वह अपने घर पर मौजूद थी कि विपक्षीगण रेाज अली, जाफर, नीबर व छेदी जो उसके पट्टीदार हैं, एक राय होकर उसकी पुश्तैनी जमीन पर जबरदस्ती मड़हा रखने लगे जब उसने मड़हा रखने से मना किया तो उपरोक्त विपक्षीगण उसे लाठी–डण्डा व मूका–थप्पड़ से मारने लगे तथा भद्दी–भद्दी गालियां देने लगे, उसके चिल्लाने व शोर मचाने पर छंगा, इस्लाम की पत्नी, साबिर की पत्नी व गांव के अन्य तमाम लोग दौड़ पड़े तो उपरोक्त विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। अभियुक्तगण के मारने पीटने से उसके सर पर, पेट व पीठ पर काफी चोटें आयी थी, तब उसके पति उसे लेकर थाना गये जहां उसने प्रार्थनापत्र दिया तब पुलिस वालों ने उसे इलाज हेतु जिला अस्पताल भिनगा भेजा था जहां उसका इलाज हुआ था, वहां से उसे बहराइच जिला अस्पताल के लिये रेफर कर दिया था घटना के बाद पुलिस वाले जांच करने आये थे व उसका बयान लिया था।

15ख– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रति परीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि ताहिरा से मार पीट के बाद इस मुकदमें से सम्बन्धित मार पीट

लगभग एक घंटे बाद हुयी थी। वे लोग अपनी जमीन पर दरवाजा खोल रहे थे, नया दरवाजा नहीं लगा रहे थे। दरवाजा नहीं लगाया गया था उस दिन मुहारा फोड़ा था। वे लोग अपने घर की दक्षिण वाली दीवार में मुहारा फोड़ रहे थे। जब घटना हुयी थी उस समय जिस जमीन पर हम लोग मुहारा फोड़ रहे थे उस जमीन का विवाद ताहिरा के घर वालों, व उसके घर वालों के बीच चल रहा था। ताहिरा व उसके घर वालों के बीच इसी जमीन के बावत इस बात का विवाद था कि ताहिरा के घर वाले जिस जमीन पर दरवाजा खोल रहे थे उसे अपना बता रहे थे, जबकि वह व उसके घर वाले उस जमीन को अपना बता रहे थे इसी जमीन के सम्बन्ध में दीवानी न्यायालय में उस समय मुकदमा चल रहा था और उस जमीन पर यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थगन आदेश पारित था। यह मुकदमा ताहिरा के पति ने दायर किया था। घटना का दिन, तारीख व समय याद नहीं है लेकिन घटना शायद भादों महीने की है। घटनास्थल की चौहद्दी वह नहीं बता पायेगी। घटना के बारे में दरोगा जी ने उससे थाने पर ही पूछतांछ की थी, और कोई पूछतांछ नहीं की थी। घटना के तुरन्त बाद दोनों पक्ष थाने पर तहरीर देने गये थे। पहले ताहिरा उन लोगों के विरूद्ध मुकदमा लिखाने गयी थी उसके पति ने थाने पर दरख्वास्त दिया था लेकिन किससे दरख्वास्त लिखायी थी। यह उसे नहीं पता। घटना में उसके कमर व पेट पर चोट आयी थी और कोई चोट नहीं आयी थी वह उस समय गर्भ से थी, लगभग पांच महीने का बच्चा था, उसे भी चोट आयी थी। उसके कमर पर जो चोटें आयी थीं वह भाग काला हो गया था अन्य कोई कटने की दिखावा (दर्शित) चोट नहीं थी। वह यह नहीं बता पायेगी कि उसके पति ने किन–किन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था। उसके पेट पर जो चोटें आयी थी, उसमें उसके बच्चे को भी चोट आयी थी किन्तु चोट दवा इलाज से ठीक हो गयी थी। ताहिरा के पेट पर चोटें नहीं आयी थी, लेकिन पहले मुकदमा लिखाने ताहिरा ही थाने पर गयी थी, उसके बाद जानकारी होने पर वे लाग भी मुकदमा लिखाने गये थे। घटना के लगभग 3 दिन बाद उसकी डाक्टरी हुयी थी फिर कहा कि घटना के एक दिन बाद डाक्टरी हुयी थी। डाक्टरी कराने उसके पति तुल्ला, छंगे व इस्लाम लेकर गये थे। डाक्टरी कराने उसे लगभग 10 बजे लेकर गये थे। उसकी डाक्टरी में साठ हजार रूपया लगा था उसकी डाक्टरी जिला अस्पताल भिनगा में हुयी थी। उसे याद नहीं है कि उसने परिवाद संख्या 588/2016 आयशा बनाम नीबर उर्फ शरीफ आदि घटना दिनांक 05.10.2025 समय आठ बजे की दर्शित करके मुल्जिमानों के खिलाफ कोई मुकदमा लिखाया था,

जिसमें उसने मुल्जिमानों के द्वारा पेट पर लात मारने से बच्चे को चोट आने के बावत घटना दर्शित की थी। आज उसके पति उसे गवाही दिलाने उसके साथ आये है। घटना के बाद केवल उसकी डाक्टरी हुयी थी अन्य किसी को चोट नहीं आयी थी इस कारण और किसी की डाक्टरी नहीं हुयी थीं उसे जो चोटें आयी थी वह ताहिरा से झगड़ा होने पर आयी थी। ताहिरा से झगड़ा होते समय इस्लाम की पत्नी, छंगे की पत्नी व साबिर अली की पत्नी उसे बचाने आयी थी। यह कहना गलत है कि वे लोग ताहिरा की जमीन पर जबरिया मुहारा खोल रहे थे और जब ताहिरा ने मना किया तो उन लोगों ने ताहिरा को मारा पीटा और जब ताहिरा उन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखाने गयी तो उसके पति ने यह झूठा मुकदमा ताहिरा के परिवार वालों के खिलाफ दबाव बनाने के उद्देश्य से लिखा दिया। यह कहना गलत है कि मुल्जिमानों ने उसे व उसके पति को मारा–पीटा नहीं है और यह मुकदमा रंजिशन लिखवा दिया है। यह कहना सही है कि मुल्जिम छेदी व उसके परिवार वालों की पुरानी रंजिश चली आ रही है, इसलिये उसने यह मुकदमा उनके खिलाफ व उन्होंने भी यह मुकदमा उसके खिलाफ लिखाया है। यह कहना गलत है कि कोई घटना घटित नहीं हुयी है।

यह साक्षी मजरूब साक्षी है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि घटना को लगभग 10 साल हो रहे हैं, घटना सुबह के समय 6.00 बजे की है। वह अपने घर पर मौजूद थी कि विपक्षीगण रेाज अली, जाफर, नीबर व छेदी जो उसके पट्टीदार हैं, एक राय होकर उसकी पुश्तैनी जमीन पर जबरदस्ती मड़हा रखने लगे जब उसने मड़हा रखने से मना किया तो उपरोक्त विपक्षीगण उसे लाठी–डण्डा व मूका–थप्पड़ से मारने लगे तथा भद्दी–भद्दी गालियां देने लगे, उसके चिल्लाने व शोर मचाने पर छंगा, इस्लाम की पत्नी, साबिर की पत्नी व गांव के अन्य तमाम लोग दौड़ पड़े तो उपरोक्त विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। अभियुक्तगण के मारने पीटने से उसके सर पर, पेट व पीठ पर काफी चोटें आयी थी। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि घटना में उसके कमर व पेट पर चोट आयी थी और कोई चोट नहीं आयी थी वह उस समय गर्भ से थी, लगभग पांच महीने का बच्चा था, उसे भी चोट आयी थी। उसके कमर पर जो चोटें आयी थीं वह भाग काला हो गया था अन्य कोई कटने की दिखावा (दर्शित) चोट नहीं थी।

बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्को के आलोक में इस साक्षी की साक्ष्य की विस्तृत विवेचना निर्णय में आगे यथोचित स्थान पर की जायेगी।

16क– अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०–3 फकीर मोहम्मद** परीक्षित कराया गया है जिसने **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि घटना आज से दस साल पहले सुबह छः बजे की है। उसके गांव के रहने वाले नीबर, रोज अली, जाफर, व छेदी उसके गांव के रहने वाले जहीर की जमीन पर जबरदस्ती कब्जेदारी की बात को लेकर तुल्ला उर्फ जहीर की पत्नी आयशा को बुरी–बुरी गालियां व जान माल की धमकी देते हुये लाठी व डण्डे से मारा–पीटा था तब उसके चिल्लाने व शोर मचाने पर वह व लाल मोहम्मद व गांव के अन्य तमाम लोग मौके पर पहुंचे व बीच बचाव कराया तब अभियुक्तगण मौके से भाग गये। अभियुक्तगण द्वारा आयशा को मारते हुये उसने अपनी आंखों से देखा है। घटना की रिपोर्ट तुल्ला ने लिखायी थी। घटना के सम्बन्ध पुलिस वालों ने जांच की थी व उसका बयान लिया था।

16ख– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रति परीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि वह दो वक्त मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है। वह सम्मन मिलने पर बयान देने आया है। साक्षी ने कुरान पर हाथ रखकर कहा कि उसने लड़ाई–झगड़ा देखा है। जमीन को लेकर लड़ाई–झगड़ा हुआ था। जमीन का विवाद घटना के पहले से था या कब से था याद नहीं है। जमीन का गाटा नम्बर उसे नहीं पता है। वह पढ़ा लिखा नहीं है। घटना का दिन तारीख व महीना उसे नहीं पता है। घटना कौन से वर्ष की है यह भी नहीं बता पायेगा। इस मामले से पूर्व इस मामले के वादी मुकदमा एवं अभियुक्तगणों के बीच दीवानी में कोई मुकदमा इस जमीन के बावत था या नहीं इसकी जानकारी उसे नहीं है। छेदी को वह जानता है वह उसके जाति विरादरी के है। छेदी के भाई का नाम शौकत है। शौकत का कत्ल हुआ था इसकी जानकारी उसे नहीं है। कत्ल के मुकदमें में कौन–कौन मुल्जिम था उसे नहीं पता है। इस्लाम उस मुकदमें में मुल्जिम थे या नहीं उसे नहीं पता। तुल्ला उसकी जाति बिरादरी के है।, नीबर व तुल्ला उसके पट्टीदार है। छेदी उसके पट्टीदार नहीं है। इस झगड़े के मामले में वह खुद मौके पर था। जब मार पीट हुयी थी तो आयशा मौके पर नहीं थी। इस लड़ाई झगड़े में उसे कोई चोट नहीं आयी थी। वह घटनास्थल पर 6 बजे पहुंचा था। वह मस्जिद से नमाज पढ़कर निकला था तब झगड़ा हुआ था। मस्जिद उसके व नीबर के घर के बीच में हैं जहां झगड़ा हुआ था। मस्जिद की चौहद्दी वह जानता हैं मस्जिद के उत्तर गांव है। मस्जिद के दक्षिण भी गांव है, पूरब सीवान है, पश्चिम में गांव व सीवान है। मस्जिद से तुल्ला का घर 100 कसी की दूरी पर है। तुल्ला के बगल में नीबर का घर है। मस्जिद से रोज

अली का घर 100 कसी से कम दूरी पर हैं मस्जिद से जाफर का घर 100 कसी से कम दूरी है। मस्जिद में नमाज उस दिन मौलाना फिरोज ने पढ़ायी थी। मस्जिद में नमाज 4–5 लोगों ने पढ़ी थी। मस्जिद में जो लोग मौजूद थे वह लोग बीच बचाव कराने नहीं गये थे वहीं से अपने घर चले गये थे। चोट किसको–किसको आयी थी यह वह नहीं बता पायेगा व कहां–कहां चोटे आयी थी यह भी नहीं बता पायेगा। छेदी व वादी मुकदमा तुल्ला व उनके परिवार वालों की पुरानी रंजिश चल रही है। छेदी के भाई शौकत अली के कत्ल मुकदमें में तुल्ला को सजा नहीं हुयी थी। तुल्ला के पिता बुधई व उनके भाई इस्लाम को सजा हुयी थी। तब से ही मुल्जिमान व वादी मुकदमा के बीच रंजिश चली आ रही है। लड़ाई झगड़ें व मार पीट के बाद वह किसी की मदद करने नहीं गया था। वह थाने पर बयान देने नहीं गया था। दरोगा जी ने उसका कोई बयान नहीं लिया था। दरोगा जी ने उसके बयान में क्या लिखा था इसकी जानकारी उसे नहीं है। जहां घटना हुयी वहां ताहिरा को उसने नहीं देखा था इसलिये वह यह भी नहीं बता पायेगा कि ताहिरा को चोट लगी थी या नहीं। ताहिरा ने वादी मुकदमा के खिलाफ कोई मुकदमा लिखाया है या नहीं इसकी जानकारी उसे नहीं है। उसका घर वादी मुकदमा तुल्ला के घर से 200 कसी की दूरी पर नीबर का भी घर है मेरी व नीबर की कोई रंजिश नहीं है। यह कहना गलत है कि उसने कोई घटना नहीं देखा व वादी मुकदमा का निकटतम पट्टीदार होने के कारण झूठी गवाही दे रहा है।

यह साक्षी घटना का चश्मदीद साक्षी बताया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि घटना आज से दस साल पहले सुबह छः बजे की है। उसके गांव के रहने वाले नीबर, रोज अली, जाफर, व छेदी उसके गांव के रहने वाले जहीर की जमीन पर जबरदस्ती कब्जेदारी की बात को लेकर तुल्ला उर्फ जहीर की पत्नी आयशा को बुरी–बुरी गालियां व जान माल की धमकी देते हुये लाठी व डण्डे से मारा–पीटा था। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि उसने लड़ाई–झगड़ा देखा है। जमीन को लेकर लड़ाई–झगड़ा हुआ था।

अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षीगण पी0 डब्ल्यू01 तुल्ला उर्फ जहीर, पी0 डब्ल्यू0 2 आयशा बेगम एवं साक्षी पी0 डब्ल्यू0 3 फकीर मोहम्मद की मुख्य परीक्षा एवं जिरह से प्रथम दृष्ट्या दिनांक 01.10.2015 को अभियुक्त पक्ष एवं वादी पक्ष के मध्य दरवाजा खोलने के विवाद को लेकर वाद विवाद होना एवं हाथापाई होना स्पष्ट है तथा यह भी स्पष्ट है कि उभय पक्षों के मध्य पुरानी रंजिश चली आ रही है। तर्क

के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया है कि तथाकथित मारपीट की घटना को लेकर उनकी ओर से भी मुकदमा दर्ज कराया गया था। यद्यपि कि यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यह घटना पूर्व में हुई मारपीट की घटना के एक घंटे बाद की है।

अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा 323, 504, 506 के अधीन आरोप विरचित किया गया है।

भा0दं0सं0 की धारा 323 के आरोप के संबंध में चिकित्सक की साक्ष्य एवं उपहति आख्या का अवलोकन किया जाना आवश्यक है।

17क– अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०–4 डा0 एन0 एन0 पाण्डेय** को परीक्षित कराया गया है जिन्होंने **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि दिनांक 01.10.2025 को वह संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा जनपद श्रावस्ती में आकस्मिक चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन चोटहिल आयशा उम्र 28 वर्ष पत्नी तुल्ला निवासी ग्राम गोबार थाना भिनगा जनपद श्रावस्ती की चोटों का परीक्षण किया था, जिसे उसके समक्ष चौकीदार स्वामी दयाल शर्मा द्वारा लाया गया था। परीक्षण के दौरान चोटहिल को निम्न चोटें पायी गयी–

चोट न0 1– पेट में दर्द बताया था। History of ammenorrhea 6 महीने की थी। Lower abdomen USG के लिये संदर्भित किया गया था।

चोट नं0 2– पीठ में दर्द बताया गया था।

चोट नं0 3– बांये हाथ की मध्यमा उंगली पर आगे की ओर खरोंच 1 सी0 एम0 गुणे 0.3 सी0एम0 थी।

चोट नं04– पूरे शरीर में दर्द बताया था।

चोट न0 1 को निगरानी में रखा गया व रेडियोलाजिस्ट व प्रसूति विशेषज्ञ की राय हेतु संदर्भित किया गया था।

पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ए–7/1 मेडिकल परीक्षिण रिपोर्ट को देखकर साक्षी ने कहा कि यह रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में है। पहचान करता है। उस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया।

चोट नं0 3 सामान्य प्रकृति की थी एवं कुन्दाले से आना प्रतीत होती थी।

चोट नं0 2 व 4 के सम्बन्ध में कोई अभिमत नहीं दिया जा सकता है।

17ख– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रति परीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि चोट संख्या 3 जमीन या सख्त सतह पर गिरने से भी आ सकती

है। रेडियोलाजिस्ट व प्रसूति रोग विशेषज्ञ की रिपोर्ट के आधार पर उसके द्वारा कोई पूरक चिकित्सीय आख्या नहीं तैयार की गयी। चोट की अवधि एक दिन के अन्दर की हो सकती है।

यह एक औपचारिक साक्षी है। इस साक्षी ने आयशा को आयी चोटों को साबित किया है तथा आयशा को आयी चोटें सामान्य प्रकृति की बतायी गयी है। इस प्रकार अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाया गया भा0दं0सं0 की धारा 323 का आरोप प्रथम दृष्ट्या साबित नहीं है। चोट सं0 3 तथाकथित मारपीट की घटना के दौरान गिरने से अथवा नाखून से भी आना सम्भव है जो कि सामान्य उपहति अथवा गम्भीर उपहति की श्रेणी में नहीं आती है।

18क– अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०–5 उ0 नि0 देवा सिंह** को परीक्षित कराया गया है जिसने **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि दिनांक 01.10.2015 को समय करीब 22.00 बजे वह थाना भिनगा में कार्यालय कार्य लेख में मौजूद था। उस दिन वादी मुकदमा तुल्ला उर्फ जहीर पुत्र चांदे निवासी गोबार, थाना भिनगा, जनपद श्रावस्ती व उसकी पत्नी आयशा बेगम के साथ आये थे जिसने आकर जुबानी सूचना दी कि जमीनी वाद को लेकर विपक्षीगण नीबर, रोज अली, जाफर व छेदी उसके दरवाजे पर चढ़ आये व भद्दी–भद्दी गाली देना शुरू कर दिया मना करने पर लात, मूका, थप्पड़ से मारा पीटा तथा जान से मारने की धमकी दी। इस सूचना के आधार पर उसके द्वारा एन0सी0आर0 संख्या 285/2015 अन्तर्गत धारा 323,504,506 भा0द0स0 थाना को0 भिनगा में पंजीकृत कर उसकी कायमी जी0डी0 तैयार की गयी। एन0सी0आर0 की प्रति पत्रावली में संलग्न है प्रमाणित करता हूं जिस पर प्रदर्श क–1 पहले से अंकित है। इसकी कायमी जी0 डी0 कागज संख्या ए–8/1 प्रमाणित करता है जिस पर **प्रदर्श क–4** अंकित किया गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था। वादी द्वारा न्यायालय से अनुमति हेतु प्रार्थनापत्र दिया था जो स्वीकार हुआ था। न्यायालय के आदेश के अुनपालन में इस मुकदमें की विवेचना एच0 सी0 पी0 बखेडूराम सुमन द्वारा की गयी थी। उनकी मृत्यु हो गयी है। वह उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता है पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ए–6/1 नक्शा नजरी विवेचक बखेडू राम सुमन द्वारा तैयार की गयी है, प्रमाणित करता है जिस पर **प्रदर्श क–5** अंकित किया गया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 1–5/1 आरोप पत्र विवेचक बखेडूराम सुमन द्वारा तैयार किया गया है, प्रमाणित करता है जिस पर **प्रदर्श क–6** अंकित किया गया।

18ख– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रति परीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि तुल्ला ने अपनी पत्नी आयशा बेगम के साथ आकर थाने पर जुबानी सूचना दी थी। एन0 सी0 आर0 तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक के मौखिक आदेश पर दर्ज की थी। इस मुकदमें की कायमी हे0 का0 उमाशंकर यादव के द्वारा की गयी थी उस कायमी के आधार पर उसके द्वारा एन0सी0आर0 आन लाइन किता की गयी थी। प्रदर्श क–4 कायमी जी0 डी0 उमाशंकर यादव के द्वारा की गयी थी इसलिये इसके बारे में वहीं बता पायेगे वह उसके बारे में कुछ नहीं बता पायेगा। एन0सी0आर0 उसके द्वारा कम्प्यूटरीकृत की गयी थी। एन0 सी0 आर0 तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक के मौखिक आदेश पर दर्ज की गयी थी किन्तु यह एन0 सी0 आर0 अंकित नहीं है, जिसका कारा उमाशंकर यादव ही बता सकते हैं, वह नहीं बता सकता। एन0सी0आर0 प्रदर्श क–1 पर थाने की मोहर अथवा थाना प्रभारी के हस्ताक्षर क्यों नहीं बने है। वह इसका कारण नहीं बता सकता है। थाने पर जो एन0 सी0 आर0 या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो उस पर थाना प्रभारी के हस्ताक्षर व थाने की मोहर होती है। उसके द्वारा एन0 सी0 आर0 कम्प्यूटरीकृत करके हे0 का0 उमाशंकर यादव को दे दी गयी थी उन्हीं के द्वारा वादी को इसकी कापी उपलब्ध करायी गयी थी। उसकी वादी मुकदमा से मुलाकात नहीं हुयी थी वादी मुकदमा की मुलाकात हे0 का0 उमाशंकर यादव से हुयी थी। हे0का0 उमाशंकर यादव द्वारा जो कायमी उपलब्ध करायी गयी थी उसके आधार पर एन0सी0आर0 कम्प्यूटरीकृत की गयी थी। उसके द्वारा चोटहिलों की मजरूबी चिट्ठी नहीं बनायी गयी थी। वह हस्तलेख विशेषज्ञ नहीं है परन्तु एच0सी0पी0 बखेडूराम सुमन को उसने लिखते पढ़ते देखा है वह उनके हस्ताक्षर को पहचानता है विवेचक ने उसके सामने किसी का बयान नहीं लिया था। वादी मुकदमा से उसकी मुलाकात नहीं हुयी थी इसलिये वह घटना के बारे नहीं बता पायेगा। एन0सी0आर0 प्रदर्श क–1 की सत्यता के सम्बन्ध में जब तक थाने से द्वितीयक चिक रजिस्टर नहीं आ जाता है तब तक वह यह नहीं बता पायेगा कियह पेपर सही है अथवा गलत है। विवेचक के साथ वह कब से कब तक कार्य किया है वह इसके बारे में नहीं बता पायेगा लेकिन विवेचना के समय वह थाने पर मौजूद था।

यह एक औपचारिक साक्षी है। इनके द्वारा कायमी जी0डी0 प्रदर्श क–4 को अपने लेख व हस्ताक्षर तथा नक्शानजरी प्रदर्श क–5 व आरोप पत्र प्रदर्श क–6 विवेचक बखेडूराम सुमन के लेख व हस्ताक्षर में कहते हुये साबित किया है।

इस प्रकार अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षी पी0 डब्ल्यू0 1 वादी मुकदमा तुल्ला उर्फ जहीर ने अभियुक्तगण मुंसरीफ उर्फ नीबर, रोज अली, जाफर, छेदी द्वारा उसे तथा आयशा को लाठी डण्डा व लात मुक्का थप्पड़ से मारकर स्वेच्छया उपहतियॉ पहुॅचाया जाना तथा भद्दी–भद्दी गालियॉ देकर जान से मारने की धमकी दिया जाना साबित किया गया है। इसी प्रकार पी0 डब्ल्यू0 2 आयशा बेगम ने अभियुक्तगण मुंसरीफ उर्फ नीबर, रोज अली, जाफर एवं छेदी द्वारा उसे तथा उसके पति तुल्ला उर्फ जहीर को लाठी डण्डा व लात मुक्का थप्पड़ से मारकर स्वेच्छया उपहतियॉ पहुॅचाया जाना तथा भद्दी–भद्दी गालियॉ देकर जान से मारने की धमकी दिया जाना साबित किया गया है। पी0 डब्ल्यू0 3 फकीर मोहम्मद जिसे घटना का चश्मदीद साक्षी बताया गया है, ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि अभियुक्तगण मुंसरीफ उर्फ नीबर, रोज अली, जाफर एवं छेदी द्वारा पी0 डब्ल्यू0 1 वादी मुकदमा तुल्ला उर्फ जहीर तथा वादी मुकदमा की पत्नी आयशा को लाठी डण्डा व लात मुक्का थप्पड़ से मारकर साधारण चोटें पहुॅचाना तथा भद्दी–भद्दी गालियॉ देकर जान से मारने की धमकी देना साबित किया गया है। मजरूबा आयशा को आयी चोटों को पी0 डब्ल्यू0 4 डा0 एन0 एन0 पाण्डेय द्वारा साबित किया गया है। पी0 डब्ल्यू0 5 द्वारा अभियोजन प्रपत्रों को विधितः साबित किया गया है। अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से यह साबित होता है कि दिनांक 01.10.2015 को समय करीब 6 बजे सुबह स्थान ग्राम गोबार, थाना को0 भिनगा, जनपद श्रावस्ती में वादी मुकदमा ने अहाते पर कब्जा करने से रोकने की बात को लेकर भद्दी–भद्दी गालियॉ देकर जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से प्रश्नगत अभियुक्तगण नीबर, रोज अली, जाफर व छेदी के विरूद्ध भा०दं०सं० की धारा 323 का आरोप साबित नहीं है। इस स्तर पर यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षीगण के बयानों से अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के मध्य दिनांक 01.10.2015 को दरवाजा खोलने के विवाद को गाली गलौज एवं मारपीट होना और इस प्रकार अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप 504, 506 भा0दं0सं0 युक्तियुक्त संदेह से परे, साबित होना पाया जाता है, जिसके कारण उपरोक्त प्रश्नगत अभियुक्तगण नीबर, रोज अली, जाफर व छेदी को भा०दं०सं० की धारा 504, 506 के आरोपित आरोप में, दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं। अभियुक्तगण नीबर, रोज अली, जाफर व छेदी भा0दं0सं0 की धारा 323 के आरोप में दोषमुक्त किये

जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में, उपरोक्त मामले में **अभियुक्तगण नीबर, रोज अली, जाफर** व **छेदी** को **भा०दं०सं०** की **धारा 504, 506 के आरोपित आरोप में क्रमशः दोषसिद्ध किया जाता है।** अभियुक्तगण जमानत पर हैं उनके बंधपत्र तथा प्रतिभू पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। **अभियुक्तगण नीबर, रोज अली, जाफर** व **छेदी** को **न्यायिक अभिरक्षा** में लिया जाये।

दण्ड के बिन्दु पर सुनवायी हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनांक 16.04.2026

(राकेश धर दुबे)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती

दिनांक 16.04.2026

दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच बाद पुनः पेश हुई।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। वे अत्यन्त गरीब हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी परवरिश करने वाला कोई नहीं है। अतः अभियुक्तगण को कम से कम अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अभियुक्तगण को विहित दण्ड से दण्डित करने की मॉग की गयी।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर सम्यक् विचार किया और पत्रावली का भलीभॉति परिशीलन किया। पत्रावली के सम्यक् परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि मुकदमा अति प्राचीन है तथा दिनांक 01.10.2015 की घटना से सम्बन्धित है तथा पारस्परिक विवाद का मामला है। अभियोजन पक्ष की तरफ से, अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धि का कोई विवरण, पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है।

इस स्तर पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **सुभाष चन्द्र बनाम स्टेट आफ यू0 पी0 2015 (90) ए सी सी पेज 240** में प्रतिपादित सिद्धांत का भी अवलोकन किया।

अतः प्रस्तुत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्तगण को धारा **504, 506** भा0दं0सं0 में निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण **नीबर, रोज अली, जाफर** व **छेदी** को भा0दं0सं0 की धारा 323 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण **नीबर, रोज अली, जाफर** व **छेदी** प्रत्येक को भा0दं0सं0 की **धारा 504** के आरोप में **एक–एक हजार रूपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर एक–एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण **नीबर, रोज अली, जाफर** व **छेदी** प्रत्येक को भा0दं0सं0 की **धारा 506** के आरोप में **एक–एक हजार रूपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर एक–एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

इस निर्णय/आदेश की एक–एक प्रति अभियुक्तगण को निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांक 16.04.2026

(राकेश धर दुबे)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती

निर्णय, आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश धर दुबे)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती

दिनांक 16.04.2026